

# असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (il) PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 643 ] No. 643]

नई दिल्ली, रिवधार, नवम्बर 23, 1997/अग्रहायण 2, 1919 NEW DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 23, 1997/AGRAHAYANA 2, 1919

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1997

का. आ. 792( अ).--केन्द्रीय सरकार, प्रसार भारती ( भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 नवस्थर, 1997 को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) के नाम से एक मिगम की स्थापना करती है ।

[फा. सं. 15/11/97-पी.**बी**.सी.]

के. एस. सर्मा, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 1997

S. O. 792(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Central Government hereby establishes with effect from the 23rd day of November, 1997, a Corporation by the name of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India.)

> [F. No. 15/11/97-PBC] K. S. SARMA, Jt. Secy.